भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या 126

28.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना

126. **श्री बृजमोहन अग्रवालः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित की गई तथा उपयोग में लाई गई कुल धनराशि का और वर्तमान में प्रतिपूर्ति के लिए लंबित दावों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पोर्टल के सुचारू रूप से काम न करने (पोर्टल फ्रिक्शन) तथा आधार-प्रमाणित ई-वाउचर सत्यापन में देरी के विशिष्ट तकनीकी कारणों और इसके परिणामस्वरूप घरेलू ईवी ओईएम के लिए हुई कार्यशील पूंजी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए, विशेष रूप से जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूह को प्रभावित करने वाले लंबित राजसहायता संवितरणों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की योजना इन परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए ऑटो-डिसबर्समेंट किश्तों को लागू करने या ट्रेड्स (टीआरईडीएस) के माध्यम में प्राप्य फैक्टरिंग (रिसीवेवल्स फैक्टरिंग) की अनुमति देने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"पीएम ई-ड्राइव स्कीम" के संबंध में श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा दिनांक 28.07.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 126 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): पीएम ई-ड्राइव स्कीम अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की गई है और इस स्कीम के तहत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। पात्र इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को खरीद मूल्य में अग्रिम छूट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को की जाती है। इसी के दृष्टिगत, वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पीएम ई-ड्राइव के तहत आवंटित और उपयोग की गई कुल निधियों और पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 22/07/2026 तक लंबित प्रतिपूर्ति दावों का विवरण इस प्रकार है:-

तालिका: वित्त वर्ष 2025-2026 और 2026-2027 में पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत आवंटित निधियों और 22.07.2026 तक वास्तविक उपयोग की स्थिति।

करोड़ रुपए	आवंटित निधि	वास्तविक व्यय	भुगतान हेतु लंबित दावे (प्रक्रियाधीन)
वित्त वर्ष 2025-26	1,300	1,160.32	-
वित्त वर्ष 2026-27	1,500	169.06 (दिनांक 22.07.2026 तक)	139.43

(ख): नेटवर्क संबंधी समस्याओं, एंटीवायरस स्कैनिंग या एनआईसी द्वारा तत्काल रखरखाव गतिविधि, या नीचे उल्लिखित आधार प्रमाणीकरण संबंधी समस्याओं के कारण उपयोगकर्ताओं को कभी-कभी पोर्टल में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है:

1. चेहरे के प्रमाणीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर लाभार्थी के आधार कार्ड से लिंक नहीं था।
2. पुराने या बेमेल बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के कारण आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा नहीं हो सका, जिसके लिए लाभार्थियों को अपने बायोमेट्रिक्स को अपडेट करने की आवश्यकता है।

ई-वाउचर प्रणाली आधार पहचान प्रमाणीकरण प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर ही लेनदेन को रिकॉर्ड करती है। चूंकि असफल या लंबित प्रमाणीकरण प्रयासों को पूर्ण लेनदेन रिकॉर्ड के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसे मामलों की अलग से राज्यवार जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग): छत्तीसगढ़ सहित ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए ईवी खरीदारों की सभी श्रेणियों (आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहों सहित (यदि कोई हो तो) के लिए लंबित सब्सिडी संवितरण की संख्या शून्य है क्योंकि ईवी की खरीद के समय अग्रिम सब्सिडी पहले ही ग्राहक को दी जा चुकी है।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
